रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2014/श्रावण 9, 1936
No. 1547] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2014/SRAVANA 9, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का. आ. 1926(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इन्डस्ट्रियल क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा "3150 एक अध्यापक वाले स्कूलों को चलाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1554.88 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 1554.48 लाख रुपये से बढ़कर 3024 लाख रुपये तक बढ़ने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 1554.48 लाख रुपये से बढ़ाकर 3024.00 लाख रुपये तक बढ़ने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) "भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इन्डस्ट्रियल क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली-110052" द्वारा चलाई जा रही

"3150 एक अध्यापक वाले स्कूलों को चलाने" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2835 (अ.), दिनांक 19.12.2011 को निम्नलिखित प्रभाव तक संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (3), कालम (4) में, "1554.48 लाख रुपए" अक्षरों, आंकडों और शब्दों के लिए "3024.00 लाख रुपए अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 3/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1926(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E), dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, "Running of 3150 One Teacher Schools" by "Bharat Lok Shiksha Parishad, A-131/3, Group Industrial Area, Wazirpur, Delhi 110052", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1554.88 lakh for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 1554.88 lakh to Rs. 3024 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 1554.88 lakh to Rs. 3024.00 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby; i) notifies the scheme or project "Running of 3150 One Teacher Schools" which is being carried out by "Bharat Lok Shiksha Parishad, A-131/3, Group Industrial Area, Wazirpur, Delhi 110052", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and (ii) amends the said notification number S.O. 2835(E), dated 19.12.2011 to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 1554.88 lakh", the letters, figures and words "Rs. 3024.00 lakh" shall be substituted'.

[No. 3/2014/ F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का. आ. 1927(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.10.2009 की

अधिसूचना सं. का.आ. 2545 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "रीडस-ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसायटी, 31/34, अलगिरी सेट, चेटपेट (पोलुर), तरुवन्नामलाई जिला, पिन-606801 द्वारा" "वाटरशेड परियोजना" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 69.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "रीडस-ग्रामीण शिक्षा और विकास सोसायटी, 31/34, अलगिरी सेट, चेटपेट (पोलुर), तरुवन्नामलाई जिला, पिन-606801" द्वारा चलाई जा रही "वाटरशेड परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 69.50 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2012-13, 2013-14 और 2014-2015 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परंतु इस निर्देश के साथ कि क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-2013 और 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2012-2013 और 2013-14 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

[सं. 4/2014/फा. सं. वी -27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1927(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545(E), dated 6.10.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "Watershed Project" by "READS – Rural Education and Development Society, 31/34, Alagiri St., Chetpet (Polur), Tiruvannamalai District, Pin–606801", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 69.50 lakh for a period of three years ending with financial year 2011-12;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Watershed Project", which is being carried out by "READS – Rural Education and Development Society, 31/34, Alagiri St., Chetpet (Polur), Tiruvannamalai District, Pin–606801", without any change in the approved cost of Rs. 69.50 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2012-13, 2013-2014 and 14-15, but with the direction that as the financial years 2012-13 and 2013-14 have already elapsed, no certificate under Section 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for the said financial years, 2012-13 and 2013-14.

[No. 4/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1928(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 31.03.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 458 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ग्लोबल कैंसर कनसरन इंडिया, ए-99, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024" द्वारा "(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) निराश्रित बच्चे को शिक्षा, (ग) आडटरीच कैंसर की देखभाल, (घ) जांच कैम्प, (ड.) प्रशासक चिकित्सा परियोजना को 2007-08 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 47.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1470 (अ) द्वारा 2010-2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 846(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "ग्लोबल कैंसर कनसरन इंडिया, ए-99, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024" द्वारा चलाई जा रही "(क) व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ख) निराश्रित बच्चे को शिक्षा, (ग) आडटरीच कैंसर की देखभाल, (घ) जांच कैम्प, (ड.)" प्रशासक चिकित्सा की परियोजना या स्कीम को 47.19 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है

[सं. 5/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1928(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 458(E), dated 31.03.2006 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, "(a)Vocational training, (b) Education to a destitute child, (c)Outreach cancer care, (d) Detection camp, (e) Palliative therapy" by "Global Cancer Concern India, A 99, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi–110024", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 47.19 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended *vide* No. S.O. 1470(E), dated 17.06.2008 for a period of three financial years ending with financial year 2010-11 and which was further extended vide notification No. S.O. 846(E), dated 27.04.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "(a) Vocational training, (b) Education to a destitute child, (c) Outreach cancer care, (d) Detection camp, (e) Palliative therapy", which is being carried out by "Global Cancer Concern India, A 99, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi – 110024", without any change in the approved cost of Rs. 47.19 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 5/2014/ F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1929(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन, 14 भूमि तल, बायकुला निगम स्कूल भवन, "एस" पुल के निकट, एन.एम. जोशी रोड, बायकुला, मुंबई-400011" द्वारा "होसपाइस, आश्रमय प्रशिक्षण की विकास योजना और निर्धन लोगों के लिए अनाथालय केंद्र" परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 43.84 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन, 14 भूमि तल, बायकुला निगम स्कूल भवन, "एस" पुल के निकट, एन.एम. जोशी रोड, बायकुला, मुंबई-400011" द्वारा चलाई जा रही "होसपाइस, आश्रमय प्रशिक्षण की विकास योजना और निर्धन लोगों के लिए अनाथालय केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 43.84 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, ।

[सं. 6/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1929(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E), dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Development Plan of Hospice, shelter, Training and Orphanage Center for Poor People" by "Social Activities Integration, 14 G/F Byculla Municipal School Building, Near "S" Bridge, N. M. Joshi Road, Byculla, Mumbai 400 011", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 43.84 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35 AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Development Plan of Hospice, shelter, Training and Orphanage Center for Poor People", which is being carried out by "Social Activities Integration, 14 G/F Byculla Municipal School Building, Near "S" Bridge, N. M. Joshi Road, Byculla, Mumbai-400 011", without any change in the approved cost of Rs. 43.84 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 6/2014 /F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1930(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं. का.आ.708(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "केनसप्पोर्ट, कनक दुर्गा, बस्ती विकास केंद्र, सेक्टर-12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022" द्वारा "केनसप्पोर्ट के लिए कार्पस निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 5.50 करोड़ रुपए की कार्पस निधि की अनुमानित लागत पर क्रम सं. 7 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2374(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1373(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "केनसप्पोर्ट, कनक दुर्गा, बस्ती विकास केंद्र, सेक्टर-12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली -110022" द्वारा चलाई जा रही "केनसप्पोर्ट के लिए कार्पस निधि" की परियोजना या स्कीम को 5.50 करोड़ रुपए की कार्पस निधि की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की

अवधि अर्थात 2014-2015, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतदद्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं. 7/2014/फा. सं. वी -27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1930(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 708(E) dated 25.05.2005 issued under clause (b) of the Explanation to section 35 AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Corpus fund for Cansupport" by "CANSUPPORT, Kanak Durga, Basti Vikas Kendra, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi-110022", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 5.50 crore corpus fund, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended *vide* notification number S.O. 2374(E) dated 3.10.2008 for further period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended *vide* notification number S.O. 1373(E) dated 14.6.2011 ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Corpus fund for Cansupport", which is being carried out by "CANSUPPORT, Kanak Durga, Basti Vikas Kendra, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi -110022", without any change in the approved cost of Rs. 5.50 crore corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 7/2014/F. No. V- 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1931(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री महावीर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिलीफ सोसायटी, श्री महावीर हेल्थ कैम्पस, अथवा गेट रिंग रोड, सूरत-395001" द्वारा "डायलिसिस केंद्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपए की कार्पस निधि की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 24 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "श्री महावीर हेल्थ एण्ड मेडिकल रिलीफ सोसायटी, श्री महावीर हेल्थ कैम्पस, अथवा गेट रिंग रोड, सूरत-395001" द्वारा चलाई जा रही "डायलिसिस केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 15 करोड़ रुपए की कार्पस

निधि की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 8/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1931(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 24, "Dialysis Centre" by "Shree Mahavir Health and Medical Relief Society, Shree Mahavir Health Campus, Athwa Gate, Ring road, Surat - 395001", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 15 crore as corpus fund, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Dialysis Centre", which is being carried out by "Shree Mahavir Health and Medical Relief Society, Shree Mahavir Health Campus, Athwa Gate, Ring road, Surat - 395001", without any change in the approved cost of Rs. 15 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 8/2014 / F. No. V- 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1932(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1860(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डा. बाबा साहेब अम्बेडकर, वैद्यकिया प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर के सामने, गरखेड़ा परिसर, औरंगाबाद" द्वारा "पहले से चल रहे अस्पताल और स्वास्थ्य की देखभाल केंद्रों का विस्तार/अभिनव परिवर्तन/ग्रामीण निर्धनों के लिए कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 13.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "डा. बाबा साहेब अम्बेडकर, वैद्यकिया प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर के सामने, गरखेड़ा परिसर, औरंगाबाद" द्वारा

चलाई जा रही "पहले से चल रहे अस्पताल और स्वास्थ्य की देखभाल केंद्रों का विस्तार/अभिनव परिवर्तन/ग्रामीण निर्धनों के लिए कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 13.81 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है,

[सं. 9/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1932(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O 1860(E) dated 11.08.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "Expansion / Renovation of already running Hospital and Healthcare centres / programs for rural poor" by "Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratisthan, Opposite Gajanan Maharaj Mandir, Garkheda Parisar, Aurangabad", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.13.81 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion / Renovation of already running Hospital and Healthcare centres / programs for rural poor", which is being carried out by "Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratisthan, Opposite Gajanan Maharaj Mandir, Garkheda Parisar, Aurangabad", without any change in the approved cost of Rs.13.81 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 9/2014/F.No.V-27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1933(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "अभय आश्रय, डाकखाना असाईगोली 574199, कोजने गांव,मंगलौर तालुका, डी. के. जिला कर्नाटक" द्वारा "वृद्धावस्था गृह, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकलांग वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृह की आवर्ती लागत, निराश्रित बच्चों के लिए गृह के आवर्ती व्यय और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि के लिए" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "अभय आश्रय, डाकखाना असाईगोली 574199, कोजने गांव, मंगलौर तालुका, डी. के. जिला कर्नाटक" द्वारा चलाई जा रही "वृद्धावस्था गृह, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकलांग वृद्ध व्यक्तियों के लिए गृह की आवर्ती लागत, निराश्रित बच्चों के लिए गृह के आवर्ती व्यय और 50 लाख रुपए की कार्पस निधि के लिए" की परियोजना अथवा स्कीम को 50 लाख की कार्पस निधि सहित 3.40 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की वित्तीय अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है,

[सं. 10/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1933(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021(E) dated 23.12.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Recurring cost of old age home, home for physically and mentally challenged older persons, recurring expenses of home for destitute children and for a corpus fund of Rs. 50 lakh" by "Abhaya Ashraya, PO Assaigoli 574199, Konaje Village, Mangalore Taluka, D.K. District, Karnataka", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.40 crore including corpus fund of Rs. 50 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Recurring cost of old age home, home for physically and mentally challenged older persons, recurring expenses of home for destitute children and for a corpus fund of Rs. 50 lakh", which is being carried out by "Abhaya Ashraya, PO Assaigoli 574199, Konaje Village, Mangalore Taluka, D.K. District, Karnataka", without any change in the approved cost of Rs. 3.40 crore including corpus fund of Rs. 50 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16 but with the direction that as the financial year 2013-14 has already elapsed, no certificate under Section 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for the said financial year 2013-14.

[No. 10 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ.1934(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जयपुर रग्स फाउन्ऊेशन, जी-250, मानसरोवर इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020" द्वारा "कालीन बुनने के माध्यम से आजीविका का सृजन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 9.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "जयपुर रग्स फाउन्डेशन, जी-250, मानसरोवर इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020" द्वारा चलाई जा रही "कालीन बुनने के माध्यम से आजीविका का सृजन" की परियोजना अथवा स्कीम को 9.97 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है,

[सं. 11/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1934(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.743(E) dated 11.04.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, "livelihood creation through carpet weaving" by "Jaipur Rugs Foundation, G-250, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020 Rajasthan, India", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.9.97 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "livelihood creation through carpet weaving", which is being carried out by "Jaipur Rugs Foundation, G-250, Mansarovar Industrial Area, Jaipur-302020 Rajasthan, India", without any change in the approved cost of Rs.9.97 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 11 /2014/ F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1935(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.03.1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 193 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेस एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेंटर, दूसरा तल, सारदानगर, मेन रोड, राजकोट-360001 (गुजरात)" द्वारा "राजकोट में श्री साई हार्ट हास्पिटल के लिए भूमि विकास, निर्माण,उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1589.16 लाख रुपए की अनुमोदित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में

दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 325(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 354 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2005-2006 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 04.04.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 498(अ) द्वारा तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 18.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 764(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2889 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 1589.16 लाख से बढ़कर 3400.00 लाख रुपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 700 लाख रुपए की कार्पस निधि के अतिरिक्त 889.16 लाख रुपए से बढ़ाकर 700 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3400.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा; (i) "प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेस एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेंटर, दूसरा तल, सारदानगर, मेंन रोड, राजकोट-360001 (गुजरात)" द्वारा चलाई जा रही "राजकोट में श्री सांई हार्ट होस्पिटल के लिए भूमि विकास, निर्मा, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन" की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-2015, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और (ii) दिनांक 14.03.1996 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 193(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत: :—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (3), कालम (4) में, "700 लाख रुपए की कार्पस निधि के अतिरिक्त 889.16 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "700 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3400 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 12/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1935(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O 193(E) dated 14.3.1996 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6 "Land development, construction, equipment, furnishing and running of Sri Sathya Sai Heart Hospital at Rajkot" by "Prashanti Medical Services &

Research Foundation, 205, Trade Centre, 2nd Floor, Sardanagar Main Road, Rajkot-360001 (Gujarat)", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1589.16 lakh for a period of three years ending with financial year 1998-99, which was further extended *vide* notification number S.O. 325(E) dated 11.5.1999 for a period of three years ending with assessment year 2002-03, which was further extended *vide* notification number S.O. 354(E) dated 31.3.2003 for a period of three years ending with assessment year 2005-06, which was further extended *vide* notification number S.O. 498(E) dated 4.04.2006 for a period of three financial years 2005-06, 2006-07 & 2007-08, which was further extended *vide* notification number 764(E) dated 18.03.2009 three years commencing from financial year 2008-09 i.e., 2008-09, 2009-10 and 2010-1 and which was further extended vide notification number S.O. 2889 (E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.1589.16 lakh to Rs.3400.00 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 889.16 lakh plus a corpus fund of Rs. 700 lakh to Rs. 3400.00 lakh including a corpus fund of Rs.700 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby; (i) notifies the scheme or project "Land development, construction, equipment, furnishing and running of Sri Sathya Sai Heart Hospital at Rajkot" which is being carried out by "Prashanti Medical Services & Research Foundation, 205, Trade Centre, 2nd Floor, Sardanagar Main Road, Rajkot-360001 (Gujarat)", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and (ii) amends the said notification number S.O. 193(E) dated 14.3.1996, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 889.16 lakh plus a corpus fund of Rs. 700 lakh", the letters, figures and words "Rs. 3400.00 lakh including corpus fund of Rs. 700 lakh" shall be substituted'.

[No. 12 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM.)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1936(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "आदिपराशक्ति चैरीटेबल मेडिकल, एजुकेशनल एण्ड कल्चरल टस्ट, मेलामारुवथूर, जिला-कांचीपुरम-603319, तमिलनाडु" द्वारा "आदिपराशक्ति स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नयन कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 67.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 31 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1396 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "आदिपराशक्ति चैरीटेबल मेडिकल, एजुकेशनल एण्ड कल्चरल ट्रस्ट, मेलामारुवथूर, जिला-कांचीपुरम-603319, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "आदिपराशक्ति स्वास्थ्य और सामाजिक उन्नयन कार्यक्रम" की परियोजना या स्कीम को 67.30 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 13/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1936(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 31, "Adhiparasakthi Health and Social Upgradation Programme" by "Adhiparasakthi Charitable, Medical, Educational and Cultural Trust, Melmaruvathur, District Kancheepuram – 603 319, Tamil Nadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 67.30 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was extended further for a period of three years *vide* Notification number S.O.1396(E) dated 14.06.2011 ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Adhiparasakthi Health and Social Upgradation Programme", which is being carried out by "Adhiparasakthi Charitable, Medical, Educational and Cultural Trust, Melmaruvathur, District Kancheepuram – 603319, Tamil Nadu", without any change in the approved cost of Rs.67.30 crore, for a further period of one year, i.e., for financial year 2014-15.

[No. 13/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1937(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सदाविचार समिति, बी. के. रोड, संत राम मंदिर के पीछे नाडियाड-387001, जिला खेड़ा, गुजरात द्वारा "सदाविचार समिति - नाडियाड" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 100 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 350 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "सदाविचार समिति, बी. के. रोड, संत राम मंदिर के पीछे नाडियाड-387001, जिला खेड़ा, गुजरात द्वारा चलाई जा रही "सदाविचार समिति - नाडियाड" की परियोजना अथवा स्कीम को 100 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 350 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है,

[सं. 14/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1937(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, "Sadvichar Samiti-Nadiad" by "Sadvichar Samiti, V.K. Road, Behind Santram Temple, Nadiad - 387001, District Kheda, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 350 lakh including corpus fund of Rs.100 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sadvichar Samiti-Nadiad", which is being carried out by "Sadvichar Samiti, V.K. Road, Behind Santram Temple, Nadiad - 387001, District Kheda, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs.350 lakh including corpus fund of Rs.100 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 14/2014 /F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1938(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049 द्वारा "झारखंड में मध्याहन भोजन परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 21.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (i) ''इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुंबई-400049 द्वारा चलाई जा रही ''झारखंड में मध्याहन भोजन परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और (ii) दिनांक 3.10.2011 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के रूप में अनुमति दी जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित तालिका में क्रम. सं. (3), कालम (4) में, ''21.16 करोड़ रुपए'' अक्षरों, आंकडों और शब्दों के लिए ''39.28 करोड़ रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 15/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1938(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 2302 (E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "Mid Day Meal Project in Jharkhand" by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai-400049", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 21.16 crore for a period of three years ending with financial year financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 21.16 crore to Rs. 39.28 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 21.16 crore to Rs. 39.28 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby; (i) notifies the scheme or project "Mid Day Meal Project in Jharkhand" which is being carried out by "Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu , Mumbai - 400049", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and (ii) amends the said notification number S.O. No. 2302 (E) dated 3.10.2011, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 21.16 crore", the letters, figures and words "Rs. 39.28 crore" shall be substituted'.

[No. 15 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1939(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.5.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डा. बाबासाहेब अम्बेडकर वैद्यकिया प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर, गरखेड़ा परिसर, औरंगाबाद द्वारा "जीवनज्योति-दी हीलिंग टच विस्तार परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1880.66 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 643 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 1880.66 लाख से बढ़ाकर 2000 लाख रुपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 1880.66 लाख रुपए से बढ़ाकर 2000 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिनांक 11.5.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के रूप में अनुमति दी जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित तालिका में क्रम. सं. (3), कालम (4) में, "1880.66 लाख रुपए" अक्षरों, आंकडों और शब्दों के लिए "2000 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. 16/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1939(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.5.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Jeevanjyoti-The Healing Touch Expansion Project" by "Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratisthan, Opposite Gajanan Maharaj Mandir, Garkheda Parisar, Aurangabad", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1880.66 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13, and which was further extending *vide* notification number S.O. 643(E) dated 12.3.2013 for a further period of three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.1880.66 lakh to Rs. 2000 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs. 1880.66 lakh to Rs. 2000 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O.1052(E) dated 11.5.2010, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 1880.66 lakh", the letters, figures and words "Rs. 2000 lakh" shall be substituted'.

[No. 16/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का. आ. 1940(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1794 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मंद बुद्धि बच्चों के लिए डिजीज्ड भावसार देवचंदभाई मूलजीमाई तालाजिया और डिजीज्ड खामालक्ष्मी देवचंदभाई तालाजिया अंकुर स्पेशल स्कूल, प्लाट नं. 1945, कामकारी महिला होस्टल के नजदीक, सरदार नगर सर्किल, भावनगर-364002" द्वारा "मंद बुद्धि बच्चों के लिए "अंकुर" स्पेशल स्कूल की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 120 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1793 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि दिनांक 21.7.2010 की अधिसूचना सं. 1793 (अ) द्वारा दिनांक 23.10.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. (अ) को संशोधित करके परियोजना लागत को 120 लाख रुपए से 1.60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.75 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मंद बुद्धि बच्चों के लिए डिजीज्ड भावसार देवचंदभाई मूलजीमाई तालाजिया और डिजीज्ड खामालक्ष्मी देवचंदभाई तालाजिया अंकुर स्पेशल स्कूल, प्लाट नं. 1945, कामकारी महिला होस्टल के नजदीक, सरदार नगर सर्किल, भावनगर-364002" द्वारा चलाई जा रही "मंद बुद्धि बच्चों के लिए "अंकुर" स्पेशल स्कूल की परियोजना अथवा स्कीम को 1.60 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 1.75 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परंतु इस निदेश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

[सं. 17/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1940(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1794(E) dated 23.10.2007 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, ""ANKUR" Special School for Mentally Retarded Children" by "Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya & Deceased Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya ANKUR Special School for Mentally Retarded Children. Plot No. 1945, Near Working Women's Hostel, Sardarnagar Circle, Bhavnagar – 364002", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 120 lakh, for a period of three years ending with financial year 2009-10, and which was further extended *vide* Notification No. S.O. 1793(E) dated 21.7.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas vide notification number S.O. 1793(E) dated 21.7.2010, the project cost was enhanced from Rs. 120 lakh to Rs. 1.75 crore including corpus fund of Rs.1.60 crore by amending notification number S.O. 1794(E) dated 23.10.2007;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project ""ANKUR" Special School for Mentally Retarded Children", which is being carried out by "Deceased Bhavsar Devchandbhai Muljibhai Talajiya & Deceased Khamalaxmi Devchandbhai Talajiya ANKUR Special School for Mentally Retarded Children. Plot No. 1945, Near Working Women's Hostel, Sardarnagar Circle, Bhavnagar – 364002", without any change in the approved cost of Rs. 1.75 crore including corpus fund of Rs.1.60 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16 but with the direction that as the financial year 2013-14 has already elapsed, no certificate under Section 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for the said financial year 2013-14.

[No. 17/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1941(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.4.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "समर्थनम ट्रस्ट फार दी डिसएबल्ड, 11 विला सुचित्रा, पहला क्रास रोड, 17वां ए मेन, जे. पी. नगर, दूसरा फेस, बंगलौर-560078 कर्नाटक" द्वारा "दृष्टि दोष वाले, शारीरिक रूप से विकलांग और अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए समर्थनम स्कूल और कंप्यूटर शिक्षा" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 48.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "समर्थनम ट्रस्ट फार दी डिसएबल्ड 11 "विला सुचित्रा, पहला क्रास रोड, 17वां ए मेन, जे. पी. नगर, दूसरा फेस, बंगलौर-560078 कर्नाटक" द्वारा चलाई जा रही "दृष्टि दोष वाले, शारीरिक रूप से विकलांग और अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए समर्थनम स्कूल और कंप्यूटर शिक्षा" की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 48.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 18/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1941(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.743(E) dated 13.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, "Samarthanam School and Computer Education for children with visual impairment, physical disability and underprivileged" by "Samarthanam Trust for the disabled, 11, Villa Suchita, 1st Cross , 17th A Main, J.P. Nagar , 2nd Phase, Bangalore –560078 -Karnataka", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 48.59 crore including corpus fund of Rs.10 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project Samarthanam School and Computer Education for children with visual impairment, physical disability and underprivileged", which is being carried out by "Samarthanam Trust for the disabled, 11, Villa Suchita, 1st Cross , 17th A Main, J.P. Nagar , 2nd Phase, Bangalore –560078-Karnataka", without any change in the approved cost of Rs. 48.59 crore including corpus fund of Rs.10 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 18/2014 / F. No.V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1942(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ.) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'जनहित, अनंत कृपा, सं. 8-11-336, नीलकंठेश्वरा नगर, एन.जी.ओ. कॉलोनी, रायचूर 584103' द्वारा 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लघु-वित्त कार्यक्रम, समुदाय सशक्तिकरण परियोजना, छुड़ाये गये बच्चों के लिए आश्रय ग्रह और 50 लाख रुपये की कार्पस निधि' की

परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'जनहित, अनंत कृपा, सं. 8-11-336, नीलकंठेश्वरा नगर, एन.जी.ओ. कॉलोनी, रायचूर 584103' द्वारा चलाई जा रही 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लघु-वित्त कार्यक्रम, समुदाय सशक्तिकरण परियोजना, छुड़ाये गये बच्चों के लिए आश्रय ग्रह और 50 लाख रुपये की कार्पस निधि' की परियोजना अथवा स्कीम को, 5.03 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है परन्तु इस निदेश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 19/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1942(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.3021(E) dated 23.12.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, "Micro-finance programme for Anganwadi workers, community empowerment project, shelter home for rescued children and for a corpus fund of 50 lakh" by "Janahitha, Anantha Krupa, No. 8-11-336, Neelakntheshwara Nagara, NGO Colony Raichur 584103", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 5.03 crore, for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project Micro-finance programme for Anganwadi workers, community empowerment project, shelter home for rescued children and for a corpus fund of 50 lakh", which is being carried out by "Janahitha, Anantha Krupa, No.8-11-336, Neelakntheshwara Nagara, NGO Colony Raichur 584103", without any change in the approved cost of Rs.5.03 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16 but with the direction that as the financial year 2013-14 has already elapsed, no certificate under Section 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for the said financial year 2013-14.

[No. 19/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

(MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1943(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 399 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'सर्वोदय आरोग्य निधि, हाईवे, रधनपुर, जिला पाटन, गुजरात-385340' द्वारा 'सर्वोदय नेत्र अस्पताल/नेत्र कैम्पस रधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान हेतु आँख के ऑपरेशन के लिए उपकरण/यंत्र' की परियोजना को 67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21.08.2000 की अधिसूचना सं का.आ. 869(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 09.05.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 531 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 26.10.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1825 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 232 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 से प्रारम्भ वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1089 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 21.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 232 (अ.) द्वारा अनुमानित लागत को दिनांक 06.06.1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 399 (अ) में संशोधन करके 67 लाख रुपये से बढ़ाकर 125 लाख रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 125 लाख रुपये से बढ़कर 250 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 125 लाख रुपये से बढ़ाकर 250 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) 'सर्वोदय आरोग्य निधि, हाईवे, रधनपुर, जिला पाटन, गुजरात-385340' द्वारा चलाई जा रही 'सर्वोदय नेत्र अस्पताल/नेत्र कैम्पस रधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान हेतु आँख के ऑपरेशन के लिए उपकरण/यंत्र' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 399 (अ.) दिनांक 06.06.1996 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत : : —

'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '125 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '250 लाख रुपए' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 20/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एसओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, **उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1943(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 399(E) dated 6.6.1996 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Eye operation equipment/instruments for Sarvodaya Eye Hospital/Eye Campus Radhanpur, Gujarat and Rajasthan" by "Sarvoday Arogya Nidhi, Highway, Radhanpur, District Patan, Gujarat –385340", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.67 lakh for a period of three years ending with financial year 1999-2000 which was further extended vide notification number S.O. 869(E) dated 21.08.2000 for a period of three years ending with financial year 2002-2003, which was further extended *vide* notification number S.O. 531(E) dated 9.05.2003 for a period of three years ending with financial year 2005-06, which was further extended vide notification No. S.O. 1825(E) dated 26.10.2006 for a period of three years ending with financial year 2008-09, which was further extended vide notification number S.O. 232 (E) dated 21.01.2009 for a further period of three years ending with financial year 2011-2012, and which was further extended vide notification number S.O. 1089(E) dated 14.5.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas vide notification number S.O.232 (E) dated 21.01.2009, the estimated cost was enhanced from Rs.67 lakh to Rs.125 lakh by amending notification number S.O. 399(E) dated 6.6.1996;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 18 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.125 lakh to Rs.250 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs.125 lakh to Rs.250 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby; i) notifies the scheme or project "Eye operation equipment/instruments for Sarvodaya Eye Hospital/Eye Campus Radhanpur, Gujarat and Rajasthan" which is being carried out by "Sarvoday Arogya Nidhi, Highway, Radhanpur, District Patan, Gujarat – 385340", for a further period of two years commencing with financial year 2015-16, i.e., 2015-16 and 2016-17; and (ii) amends the said notification number S.O. 399(E) dated 6.6.1996, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.125 lakh", the letters, figures and words "Rs.250 lakh" shall be substituted'.

[No. 20/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1944(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1586 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "मोहन फाउंडेशन, ए-81, अन्ना नगर, चेन्नई – 600 102" द्वारा "बहु-अंग हारवेस्टिंग एवं शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को

समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2036 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 883 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'मोहन फाउंडेशन, ए-81, अन्ना नगर, चेन्नई – 600 102' द्वारा चलाई जा रही 'बहु-अंग हारवेस्टिंग एवं शेयरिंग नेटवर्क इन इंडिया' की परियोजना अथवा स्कीम को, 1.97 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 21/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1944(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1586(E) dated 11.11.2005 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, "Multi Organ Harvesting and Sharing Network in India" by "Mohan Foundation A-81, Anna Nagar, Chennai - 600 102", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.97 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide notification number S.O.2036(E) dated 06.10.2009 for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O.883(E) dated 27.04.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Multi Organ Harvesting and Sharing Network in India", which is being carried out by "Mohan Foundation A-81, Anna Nagar, Chennai - 600102", without any change in the approved cost of Rs. 1.97 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 21/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1945(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737 (अ.) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'स्वामी श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट, टिम्बी गाँव, उमराला तालुक, भावनगर – 364320 (गुजरात)' द्वारा 'श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट अस्पताल' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1097 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 09.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2406 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737 (अ.) में संशोधन करके 3.44 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) 'स्वामी श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट, टिम्बी गाँव, उमराला तालुक, भावनगर–364320 (गुजरात)' द्वारा चलाई जा रही 'श्री निर्दोशानंदजी मानव सेवा ट्रस्ट अस्पताल' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 737 (अ) दिनांक 13.03.2009 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत: —

'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '6.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.75 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '20 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 22/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1945(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13.03.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Shree Nirdoshanandji Manav Seva Trust Hospital" by "Swami Shree Nirdoshanandji Manav Seva Trust Timbi Village, Umrala Taluk Bhavnagar-364320 (Gujarat)", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3.44 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended *vide* notification number S.O. 1097 (E) dated 14.05.2012 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas *vide* notification No. S.O. 2406 (E) dated 9.10.2012, the project cost was enhanced from Rs. 3.44 crore to Rs. 9.75 crore including a corpus fund of Rs. 6.25 crore amending notification number S.O. 737(E) dated 13.03.2009;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 9.75 crore including corpus fund of Rs. 6.25 crore to Rs. 29 crore including corpus fund of Rs. 20 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 9.75 crore including corpus fund of Rs. 6.25 crore to Rs.29 crore including corpus fund of Rs. 20 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby i) notifies the scheme or project "Shree Nirdoshanandji Manav Seva Trust Hospital", which is being carried out by "Swami Shree Nirdoshanandji Manav Seva Trust Timbi Village, Umrala Taluk, Bhavnagar-364 320 (Gujarat)", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 and (ii) amends the said notification number S.O. 737(E) dated 13.03.2009, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 9.75 crore including corpus fund of Rs. 6.25 crore", the letters, figures and words "Rs. 29 crore including corpus fund of Rs. 20 crore", shall be substituted'.

[No. 22 /2014 / F.No.V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1946(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट, सरकारी चिकित्सा कॉलेज केम्पस, माजुरा गेट, सूरत – 39500, गुजरात' द्वारा 'लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर – रेखिक उत्प्रेरक हेतु सूरत परियोजना' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 15.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3167 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 3.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 15.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 3.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 15.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052 (अ) में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत : :—

'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जो कि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '3.25 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 15.00 करोड़ रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '10 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपये' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 23/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एसओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1946(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.05.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Lions Cancer Detection Centre- Surat Project for Linear Accelerator" by "Lions Cancer Detection Centre Trust Government Medical College Campus Majura Gate, Surat – 39500, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 3.25 crore, for a period of three years ending with financial year 2012-13, which was further extended *vide* notification number 3167(E) dated 17.10.2013 ending with financial year 2015-16;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 3.25 crore to Rs. 29 crore including corpus fund of Rs. 10 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, enhancing the project cost from Rs.15.00 crore including a corpus fund of Rs. 3.25 crore to Rs. 29 crore including corpus fund of Rs.10 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. 1052(E) dated 11.05.2010, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 15.00 crore including a corpus fund of Rs. 3.25 crore", the letters, figures and words "Rs. 29 crore including corpus fund of Rs. 10 crore", shall be substituted'.

[No. 23 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1947(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'बी.डी. पटेल जनरल अस्पताल, श्री संतराम मंदिर द्वारा संचालित, शहर-उमरेथ, जिला आनंद, गुजरात-388220' द्वारा 'बी.डी. पटेल जनरल अस्पताल' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 30 लाख रुपये की

कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'बी.डी. पटेल जनरल अस्पताल, श्री संतराम मंदिर द्वारा संचालित, शहर-उमरेथ, जिला आनंद, गुजरात-388220' द्वारा चलाई जा रही 'बी.डी. पटेल जनरल अस्पताल' की परियोजना अथवा स्कीम को, 30 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 24/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1947(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1370(E) dated 14.06.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, "B.D Patel General Hospital" by "B.D. Patel General Hospital, Run by Shree Santram Mandir, Town-Umreth, District Anand, Gujarat 388220", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 90 lakh including corpus fund of Rs. 30 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "B.D. Patel General Hospital", which is being carried out by "B. D. Patel General Hospital, Run by Shree Santram Mandir, Town-Umreth, District Anand, Gujarat 388220", without any change in the approved cost of Rs. 90 lakh including corpus fund of Rs. 30 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 24/2014/ F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1948(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4.10.2011 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 2302 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन, श्रद्धा मानसरोवर, एसके क्लब के

सामने, ऑफ न्यू लिंक रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई - 400103' द्वारा 'श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, 'श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन, श्रद्धा मानसरोवर, एसके क्लब के सामने, ऑफ न्यू लिंक रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई - 400103' द्वारा चलाई जा रही 'श्रद्धा पुनर्वास फाउंडेशन' की परियोजना अथवा स्कीम को 2.73 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 25/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1948(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302 (E) dated 4.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 21, "Shraddha Rehabilitation Foundation" by "Shraddha Rehabilitation Foundation, Shraddha Manasarovar, Opposite Eskay Club, Off New Link Road, Borivali (W), Mumbai 400103", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 2.73 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Shraddha Rehabilitation Foundation", which is being carried out by "Shraddha Rehabilitation Foundation, Shraddha Manasarovar, Opposite Eskay Club, Off New Link Road, Borivali (W), Mumbai 400103", without any change in the approved cost of Rs. 2.73 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 25/2014 /F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1949(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4.10.2011 की अधिसूचना सं. **का.**आ. 2302 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'जन कल्याण मेडिकल सोसायटी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 क, मांडवी-भुज रोड, मांडवी-कच्छ, गुजरात' द्वारा 'कैंसर रिसर्च होस्पिस एवं डायलिसिस सेंटर' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 4.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, 'जन कल्याण मेडिकल सोसायटी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 क, मांडवी-भुज रोड, मांडवी-कच्छ, गुजरात' द्वारा चलाई जा रही 'कैंसर रिसर्च होस्पिस एवं डायलिसिस सेंटर' की परियोजना अथवा स्कीम को 4.5 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 26/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1949(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E), dated 4.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, "Cancer Research Hospice and Dialysis Centre" by "Jan Kalyan Medical Society, National Highway 8A, Mandvi-Bhuj Road, Mandvi-Kutch Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4.5 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Cancer Research Hospice and Dialysis Centre",

which is being carried out by "Jan Kalyan Medical Society, National Highway 8A, Mandvi-Bhuj Road, Mandvi-Kutch Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 4.5 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 26/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1950(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 743 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'आशीर्वाद शिक्षा ट्रस्ट, कार्यालय सं. 5, 6, 7 आभूषण कॉम्पलेक्स, महादेव नगर सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-14' द्वारा 'मोबाइल हेल्थ कार्ड एवं मेडिकल कन्सलटेशन' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 7.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, 'आशीर्वाद शिक्षा ट्रस्ट, कार्यालय सं. 5, 6, 7 आभूषण कॉम्पलेक्स, महादेव नगर सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-14' द्वारा चलाई जा रही 'मोबाइल हेल्थ कार्ड एवं मेडिकल कन्सलटेशन' की परियोजना अथवा स्कीम को 7.56 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 27/2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1950(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 743(E), dated 11.4.2011 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Mobile Health Card & Medical Consultation" by "Ashirvad Education Trust, Office No. 5, 6, 7 Abhusan complex, Mahadev Nagar Society, Navrangpura, Ahmedabad–14", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 7.56 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Mobile Health Card & Medical Consultation", which is being carried out by "Ashirvad Education Trust, Office No. 5, 6, 7 Abhusan complex, Mahadev Nagar Society, Navrangpura, Ahmedabad–14", without any change in the approved cost of Rs. 7.56 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 27/2014 /F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1951(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.10.2010 की अधिसूचना सं. **का.**आ. 3021 (अ.) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसायटी, पायबुंग खुल्लन, पो.आ. सेनापति, जिला सेनापति, मणिपुर-795106' द्वारा 'आय उत्पन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीब आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण' की परियोजना को 484.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2012-13 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 23 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 484.50 लाख रुपये से बढ़कर 1007.50 लाख रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 484.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1007.50 लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, (i) 'चिंगटॉन डेवलपमेंट सोसायटी, पायबुंग खुल्लन, पो.आ. सेनापति, जिला सेनापति, मणिपुर-795106' द्वारा चलाई जा रही 'आय उत्पन्न कार्यक्रमों द्वारा गरीब आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है, परन्तु इस निदेश के साथ कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग (1) के तहत कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा; और (ii) उक्त अधिसूचना सं. **का.**आ. 3021 (अ), दिनांक 23.10.2010 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत : :—

'उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 3 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '484.50 लाख रुपये' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '1007.50 लाख रुपए' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 28 /2014/फा. सं. वी. 27015/1/2014-एसओ(एन.सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1951(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021(E), dated 23.10.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 23, "Economic Empowerment of Tribal poor through Income Generation Programme" by "Chington Development Society, Phaibung Khullen, P.O. Senapati, Senapati District, Manipur-795106", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 484.50 lakh, for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 484.50 lakh to Rs. 1007.50 lakh;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 484.50 lakh to Rs. 1007.50 lakh.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (i) notifies the scheme or project "Economic Empowerment of Tribal poor through Income Generation Programme", which is being carried out by "Chington Development Society, Phaibung Khullen, P.O. Senapati, Senapati District, Manipur-795106", for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16, but with the direction that as the financial year 2013-14 has already elapsed, no certificate under Section 35AC (1) of the IT Act, 1961 shall be issued for the said financial years 2013-14, and (ii) amends the said notification number S.O. 3021(E), dated 23.10.2010, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 484.50 lakh", the letters, figures and words "Rs. 1007.50 lakh", shall be substituted'.

[No. 28/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1952(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4.10. 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "थैलेसिमिया एंड सिकल सेल सोसायटी, डोर नं. 22-8-496 से 501, चट्टा बाजार, नजदीक सिटी सिविल कोर्ट, पुरानी हवेली, हैदराबाद-500002" द्वारा "रक्ताधान निर्भर थैलेसिमिया तथा सिकल सेल रोगियों हेतु प्रबंधन तथा इसकी रोकथाम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 7.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा,

"थैलसिमिया एंड सिकल सेल सोसायटी, डोर नं. 22-8-496 से 501, चट्टा बाजार, नजदीक सिटी सिविल कोर्ट, पुरानी हवेली हैदराबाद-500002" द्वारा चलाई जा रही "रक्ताधान निर्भर थैलेसिमिया तथा सिकल सेल रोगियों हेतु प्रबंधन तथा इसकी रोकथाम" की परियोजना अथवा स्कीम को 7.46 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 29/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1952(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 4.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, "Management of Transfusion Dependent Thalassemia & Sickle Cell Patients, and its prevention" by "Thalassemia and Sickle Cell Society, Door No. 22-8-496 to 501, Chatta Bazar, Near city Civil Court, Purani Haveli, Hyderabad-500002", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 7.46 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Management of Transfusion Dependent Thalassemia & Sickle Cell Patients, and its prevention", which is being carried out by "Thalassemia and Sickle Cell Society, Door No. 22-8-496 to 501, Chatta Bazar, Near city Civil Court, Purani Haveli, Hyderabad-500002", without any change in the approved cost of Rs. 7.46 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 29/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1953(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सूरत डायमंड एसोसिएशन 12-14 मीरा नगर, नजदीक ब्लड बैंक वर्चा, सूरत-395006" द्वारा "डायमंड अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 6 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 21 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, ''सूरत डायमंड एसोसिएशन 12-14 मीरा नगर, नजदीक ब्लड बैंक वॅचा, सूरत-395006'' द्वारा चलाई जा रही ''डायमंड अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को 6 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 13.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 30/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1953(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E) dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 21, "Expansion of Diamond hospital & medical research centre" by "Surat Diamond Association, 12-14 Meera Nagar, Near Blood Bank Varacha, Surat-395006", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 13.00 crore including a corpus fund of Rs. 6 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of Diamond hospital & medical research centre", which is being carried out by "Surat Diamond Association, 12-14 Meera Nagar, Near Blood Bank Varacha, Surat-395006", without any change in the approved cost of Rs. 13.00 crore including a corpus fund of Rs. 6 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 30/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1954(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.11.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2907(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''जामिया इस्लामिया इस्हातुल उलूम, अमलीबारी मोल्गी रोड, जिला नंदूरबर, ए/पी एक्कलकुवा, महाराष्ट्र-425415'' द्वारा ''वर्तमान क्रियाकलापों को बनाए रखने एवं विस्तार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए

17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3127(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 17.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 35.22 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 17.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35.22 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, (i) "जामिया इस्लामिया इस्हातुल उलूम, अमलीबारी मोल्गी रोड, जिला नंदूरबर, ए/पी एक्कलकुवा, महाराष्ट्र-425415" द्वारा चलाई जा रही "वर्तमान क्रियाकलापों को बनाए रखने एवं विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अधिसूचित करती है और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2907(अ) दिनांक 17.11.2009 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत :—

'उक्त अधिसूचना की सारणी क्रम. सं. (3), के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में "17 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकडों और शब्दों के स्थान पर "35.22 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएंगे ।'

[सं. 31/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1954(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2907(E) dated 17.11.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, "Maintenance and expansion of present activities" by "Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Amlibari Molgi Road, District Nandurbar, A/P. Akkalkuwa, Maharashtra–425415", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.17 crore, for a period of three years ending with financial year 2012-13, and which was further extended vide notification number S.O. 3127(E) dated 17.10.2013 for another three years ending with financial year 2015-16;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 17.00 crore to Rs. 35.22 crore.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, for specifying the said project or scheme for a further period of one year and also enhancing the project cost from Rs. 17.00 crore to Rs. 35.22 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (i) notifies the scheme or project "Maintenance and expansion of present activities", which is being carried out by "Jamia Islamia Ishaatul Uloom, Amlibari Molgi Road, District Nandurbar, A/P. Akkalkuwa, Maharashtra–425415", for a further period of one year, i.e., financial year 2016-17, and (ii) amends the said notification number S.O. 2907(E) dated 17.11.2009, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 17 crore", the letters, figures and words "Rs. 35.22 crore", shall be substituted'.

[No. 31/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1955(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "तमिलनाड किडनी रिसर्च फाउंडेशन, 17, वीटक्रोफ्ट्स रोड, नुनगमबक्कम, चेन्नई-600034" द्वारा "कार्पस निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के रूप में अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 26 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2406(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एदतद्वारा "तमिलनाड किडनी रिसर्च फाउंडेशन, 17, वीटक्रोफ्ट्स रोड, नुनगमबक्कम, चेन्नई-600034" द्वारा चलाई जा रही "कार्पस निधि" की परियोजना अथवा स्कीम को 6 करोड़ रुपए की कार्पस निधि के रूप में अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 32/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1955(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 26, "Corpus fund" by "Tamilnad Kidney Research Foundation, 17, Wheatcrofts Road, Nungambakkam, Chennai-600034", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 6 crore as corpus fund, for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O. 2406(E) dated 18.10.2011 for a period of three financial years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Corpus fund", which is being carried out by "Tamilnad Kidney Research Foundation, 17, Wheatcrofts Road, Nungambakkam, Chennai 600 034", without any change in the approved cost of Rs. 6 crore as corpus fund, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 32/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1956(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 121 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "मदर फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, जेएन-2/65/ए-3, गुल मोहर सोसायटी, सेक्टर-9, वाशी, नवी मुम्बई-400703" द्वारा "हॉली स्पिरिट आश्रम-एड्स और कैंसर (अनुसंधान और विकास इकाई के साथ) के विशेष प्रावधान वाले 100 बिस्तरों के साथ मौजूदा 50 बिस्तरों के सामान्य अस्पताल के विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 24.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1382 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "मदर फाउंडेशन चेरिटेबल ट्रस्ट, जेएन-2/65/ए-3, गुल मोहर सोसायटी, सेक्टर-9, वाशी, नवी मुम्बई-400703" द्वारा चलाई जा रही "हॉली स्पिरिट आश्रम-एड्स और कैंसर (अनुसंधान और विकास इकाई के साथ) के विशेष प्रावधान वाले 100 बिस्तरों के साथ मौजूदा 50 बिस्तरों के सामान्य अस्पताल के विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 24.24 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 33/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1956(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 121(E), dated 12.1.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, "Holy Spirit Ashram – expansion of the existing 50 beds general hospital with 100 beds with special consideration of AIDS and Cancer (with R& D unit)" by "Mother Foundation Charitable Trust, JN-2/65/A-3, Gulmohur Society, Sector 9, Vashi, Navi Mumbai–400703", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 24.24 crore, for a period of three years ending with

financial year 2010-11, and which was further extended vide Notification No. S.O. 1382 (E), dated 14.6.2011 for a period of further three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Holy Spirit Ashram – expansion of the existing 50 beds general hospital with 100 beds with special consideration of AIDS and Cancer (with R& D unit)", which is being carried out by "Mother Foundation Charitable Trust, JN-2/65/A-3, Gulmohur Society, Sector 9, Vashi, Navi Mumbai –400703", without any change in the approved cost of Rs. 24.24 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 33/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1957(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट, 303, तीसरा तल, महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, एलिस ब्रिज डाकघर के सामने, बी/एच. वी.एस. हॉस्पिटल, अहमदाबाद, गुजरात" द्वारा "चेरीटेबल हॉस्पिटल और शैक्षणिक क्रियाकलाप के विस्तार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 17.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट, 303, तीसरा तल, महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, एलिस ब्रिज डाकघर के सामने, बी/एच वी.एस. हॉस्पिटल, अहमदाबाद, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "चेरीटेबल हॉस्पिटल और शैक्षणिक क्रियाकलाप के विस्तार" की परियोजना अथवा स्कीम को 17.73 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 34/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1957(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835(E), dated 19.12.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16 "Expansion of the Charitable Hospital & Educational Activities" by "The Gujarat Sarvajanik Welfare Trust, 303, 3rd Floor, Maharana Pratap Complex, Opp. Ellis Bridge Post Office, B/h V.S. Hospital, Ahmedabad, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 17.73 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of the Charitable Hospital & Educational Activities", which is being carried out by "The Gujarat Sarvajanik Welfare Trust, 303, 3rd Floor, Maharana Pratap Complex, Opp. Ellis Bridge Post Office, B/h V.S. Hospital, Ahmedabad, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 17.73 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 34/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1958(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट, संतराम मंदिर, नाडियाड 387001, जिला खेड़ा, गुजरात" द्वारा "श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट, संतराम मंदिर, नाडियाड-387001, जिला खेड़ा, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही 'श्री संतराम जनसेवा ट्रस्ट" की परियोजना अथवा स्कीम 1.50 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 5 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 35/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1958(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E), dated 14.6.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Shree Santram Janseva Trust" by "Shree Santram Janseva Trust, Santram Mandir, Nadiad-387 001, District Kheda, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 5 crore including a corpus fund of Rs. 1.50 crore, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Shree Santram Janseva Trust", which is being carried out by "Shree Santram Janseva Trust, Santram Mandir, Nadiad 387 001, District Kheda, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 5 crore including a corpus fund of Rs. 1.50 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 35/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1959(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "शिरडी साईंबाबा मंदिर सोसायटी, साईं धाम, तिगांव रोड, सेक्टर 86, फरीदाबाद 121002" द्वारा "प्राथमिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की लागत और गरीब बच्चों के लिए भी भोजन, कपड़ा, पाठ्य सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल के साथ निशुल्क शिक्षा के लिए लागत" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1083 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 6.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 14.50 करोड़ रुपए होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 6.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14.50 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "शिरडी

साईंबाबा मंदिर सोसायटी, साईं धाम, तिगांव रोड, सेक्टर 86, फरीदाबाद-121002" द्वारा चलाई जा रही "प्राथमिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की लागत और गरीब बच्चों के लिए भी भोजन, कपड़ा, पाठ्य सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल के साथ निशुल्क शिक्षा के लिए लागत" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) दिनांक 12 जुलाई, 2010 की उक्त अधिसूचना का.आ. 1649 (अ) को निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामत: :—

'उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के सामने दिए कॉलम (4) जो धारा क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, "6.50 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्दों के स्थान पर "14.50 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

[सं. 36/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1959(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, "Cost of construction of school building primarily for providing free education belonging to the economically weaker sections of the society and also the cost of providing free education to the poor children with food, clothing, study material and health care" by "Shirdi Sai Baba Temple Society, Sai Dham, Tigaon Road, Sector 86, Faridabad-121002", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 6.50 crore, for a period of three years ending with financial year 2011-12, and which was further extended *vide* notification number S.O. 1083(E) dated 14.5.2012 for a period of three years ending with financial year 2014-15;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.6.50 crore to Rs.14.50 crore.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, for specifying the said project or scheme for a further period of two years and also enhancing the project cost from Rs.6.50 crore to Rs.14.50 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (i) notifies the scheme or project "Cost of construction of school building primarily for providing free education belonging to the economically weaker sections of the society and also the cost of providing free education to the poor children with food, clothing, study material and health care", which is being carried out by "Shirdi Sai Baba Temple Society, Sai Dham, Tigaon Road, Sector 86, Faridabad-121002", for a further period of two years commencing with financial year 2015-16, i.e., 2015-16 and 2016-17, and (ii) amends the said notification number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 6.50 crore", the letters, figures and words "Rs. 14.50 crore", shall be substituted'.

[No. 36/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1960(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 2370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "जीवन ज्योत चेरीटेबल ट्रस्ट, मार्फत पाटन जनता हॉस्पिटल, सरदार रोड, समीप रेलवे गरनाला, पाटन, उत्तरी गुजरात" द्वारा "अस्पताल के उपस्करों की खरीद और कॉर्पस निधि एकत्र करने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूना सं. **का.आ.** 860 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "जीवन ज्योत चेरीटेबल ट्रस्ट, मार्फत पाटन जनता हॉस्पिटल, सरदार रोड, समीप रेलवे गरनाला, पाटन उत्तरी गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "अस्पताल के उपस्करों की खरीद और कॉर्पस निधि एकत्र करने" की परियोजना अथवा स्कीम 7.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 14.44 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 37/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1960(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3rd October, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, Purchase of hospital equipments and to raise corpus fund by Jivan Jyot Charitable Trust, C/o Patan Janta Hospital, Sardar Road, Near Railway Garnala, Patan, North Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended *vide* notification number S.O. 860 (E) dated 27.4.2011 for a period of three years commencing from financial year, 2011-12, i.e., 2011-12, 2012-13 and 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project for Purchase of hospital equipments and to raise corpus fund which is being carried out by 'Jivan Jyot Charitable Trust, C/o Patan Janta Hospital, Sardar Road, Near Railway Garnala, Patan, North Gujarat', without any change in the approved

cost of Rs. 14.44 crore including a corpus fund of Rs. 7.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 37/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1961(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 708(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''सोस्वा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट, म्हाडा कमर्शियल कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, एमएचबी कॉलोनी, यरवदा, पुणे-411006'' द्वारा "स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1465 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1371 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''सोस्वा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट, म्हाडा कमर्शियल कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, एमएचबी कॉलोनी, यरवदा, पुणे-411006'' द्वारा चलाई जा रही "स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण'' की परियोजना अथवा स्कीम को 70 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 38/2014 /फा. सं. वी -27015/1/2014-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1961(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 708(E) dated 25.05.2005 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, "Project for capacity building of voluntary sector" by "SOSVA Training and Promotion Institute, MHADA Commerical Complex, 1st Floor, MHB Colony, Yerwada, Pune- 411006", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 70 lakh, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide Notification number S.O. 1465(E) dated 20.06.2008 for a further period of three financial years ending with financial year 2010-11, which was further extended vide notification number S.O. 1371(E) dated 14.6.2011 for a further period of three financial years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Project for capacity building of voluntary sector", which is being carried out by "SOSVA Training and Promotion Institute, MHADA Commerical Complex, 1st Floor, MHB Colony, Yerwada, Pune- 411006", without any change in the approved cost of Rs. 70 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 38 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1962(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2545(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "शांतिलाल शांघवी फाऊंडेशन, एफपी-145, राम मंदिर, विले पार्ले (ईस्ट), मुंबई-400057, महाराष्ट्र" द्वारा "आदिवासियों के लिए कैंसर, गुर्दे की खराबी (डायलिसिस) और नेत्र रोगों के उपचार" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 10.29 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 479(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 479 द्वारा 06.10.2009 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 2545(अ) को संशोधित करते हुए परियोजना लागत को 10.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19.77 करोड़ रुपए कर दिया गया था; और बाद में दिनांक 12 मार्च, 2013 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 652(अ) द्वारा 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2545(अ) द्वारा संशोधित करते हुए परियोजना लागत को 19.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24.77 करोड़ रुपये कर दिया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 24.77 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 69.15 करोड़ रूपए होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16 और 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 24.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 69.15 करोड़ रूप करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (i) "शांतिलाल शांघवी फाऊंडेशन, एफपी-145, राम मंदिर, विले पार्ले (ईस्ट), मुंबई-400057, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "आदिवासियों के लिए कैंसर, गुर्दे की खराबी (डायलिसिस) और नेत्र रोगों के उपचार" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि अर्थात्

2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. **का.आ.** 2545(अ) (दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 479(अ) और दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 652(अ) द्वारा यथासंशोधित) को निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामत :—

'उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के सामने दिए कॉलम (4) जो धारा क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, "24.77 करोड़ रुपए" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्दों के स्थान पर "69.15 करोड़ रुपए" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

[सं. 39/2014 /फा. सं. वी -27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1962(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545(E) dated 06.10.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, "Treatment of Cancer, Kidney Failure (dialysis) and Eye diseases for Tribal" by "Shantilal Shanghavi Foundation, FP-145, Ram Mandir Road, Vile Parle (East), Mumbai-400 057, Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 10.29 crore, for a period of three years ending with financial year 2011-12, which was further extended vide notification number S.O. 479(E) dated 16.3.2012 for a period of three years ending Financial year 2014-15;

And whereas vide notification number S.O. 479(E) dated 16.3.2012 the project cost was enhanced from Rs. 10.29 crore to Rs. 19.77 crore by amending notification number S.O. 2545(E) dated 06.10.2009 and subsequently vide notification number S.O. 652(E) dated 12.3.2013 the project cost was enhanced from Rs. 19.77 crore to Rs. 24.77 crore again by amending notification number S.O. 2545(E) dated 06.10.2009;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 24.77 crore to Rs. 69.15 crore.

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years, i.e., 2015-16 and 2016-17 and also enhancing the project cost from Rs. 24.77 crore to Rs. 69.15 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (i) notifies the scheme or project "Treatment of Cancer, Kidney Failure (dialysis) and Eye diseases for Tribal", which is being carried out by "Shantilal Shanghavi Foundation, FP 145, Ram Mandir Road, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, Maharashtra", for a further period of two years commencing with financial year 2015-16, i.e., 2015-16 and 2016-17 and (ii) amends the said notification number S.O. 2545(E) dated 06.10.2009 (as amended *vide* notification number S.O. 479(E) dated 16.3.2012 and S.O. 652(E) dated 12.3.2013), to the following effect, namely :—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 24.77 crore", the letters, figures and words "Rs. 69.15 crore", shall be substituted'.

[No. 39/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1963(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दिशा चेरीटेबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स टावर्स, गोत्री रोड, वडोदरा 390007-गुजरात" द्वारा "(क) दिशा स्पेशल स्कूल और थेरैपी सेंटर (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.24 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.6.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1385 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "दिशा चेरीटेबल ट्रस्ट, 319, रेस कोर्स टावर्स, गोत्री रोड, वडोदरा 390007-गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "(क) दिशा स्पेशल स्कूल और थेरैपी सेंटर (ख) दिशा ऑटिज्म सेंटर, (ग) कम्युनिटी आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.24 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 40/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1963(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, "(a) Disha Special School and Therapy Centre, (b) Disha Autism Centre, (c) Community based rehabilitation programme" by "Disha Charitable Trust, 319, Race Course Towers, Gotri Road, Vadodara 390007- Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 1.24 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended vide Notification number 1385 (E) dated 14.6.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "(a) Disha Special School and Therapy Centre, (b) Disha Autism Centre, (c) Community based rehabilitation programme", which is being carried out by "Disha Charitable Trust, 319, Race Course Towers, Gotri Road, Vadodara 390007-

Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 1.24 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 40 /2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1964(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.5.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 708 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डिसेबल वेल्फेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1058, धोबी शेरी, नानपुरा सूरत-1, गुजरात" द्वारा "विकलांग व्यक्तियों के लिए परियोजना" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 5.35 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 4.6.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1300 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.4.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 876 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "डिसेबल वेल्फेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1058, धोबी शेरी, नानपुरा सूरत-1, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "विकलांग व्यक्तियों के लिए परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.35 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 41/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1964(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 708(E) dated 25.05.2005 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, "Project for handicapped persons" by "Disable Welfare Trust of India, 1058, Dhobi Sheri, Nanpura Surat-I, Gujarat", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 5.35 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide Notification number S.O. 1300(E) dated 04.06.2008 for a further period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended vide Notification number S.O. 876(E) date 27.4.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Project for handicapped persons", which is being carried out by "Disable Welfare Trust of India, 1058, Dhobi Sheri, Nanpura Surat-I, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 5.35 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 41 /2014 / F.No.V.27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1965(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 737 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "विद्यारंबम ट्रस्ट, नया नं. 27, पांचवीं गली, पदमनाभ नगर, अडयार, चेन्नै-600020-तमिलनाडु" द्वारा "3 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों के लिए व्यापक और सहायताकारी नि:शुल्क शिक्षा" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए 4.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1862 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "विद्यारंबम ट्रस्ट, नया नं. 27, पांचवीं गली, पदमनाभ नगर, अडयार, चेन्नै-600020-तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "3 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण बच्चों के लिए व्यापक और सहायताकारी नि:शुल्क शिक्षा" की परियोजना अथवा स्कीम को 4.8 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 42/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1965(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 737(E) dated 13.3.2009 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, "Comprehensive and supportive free education for rural children of 3 to 12 years age group" by "Vidyarambam Trust, New No. 27, Fifth Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai–600 020 - Tamilnadu", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4.8 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended *vide* Notification number S.O. 1862 (E) dated 11.8.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Comprehensive and supportive free education for rural children of 3 to 12 years age group", which is being carried out by "Vidyarambam Trust, New No. 27, Fifth Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai –600 020 - Tamilnadu", without any change in the approved cost of Rs. 4.8 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 42/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1966(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 121 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारतीय जैन संघटन, सेनापति बापत रोड, होटल सहारा के सामने, पुणे-411016'' द्वारा "भारतीय जैन संघटन, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार परियोजना (बीजेएस-एडुकिप)'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 17.63 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 35 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 859 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 482 (अ) द्वारा 12.01.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 121(अ) को संशोधित करते हुए परियोजना लागत को 17.63 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 29.77 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 29.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 59.77 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 29.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 59.77 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा

(i) "भारतीय जैन संघटन, सेनापति बापत रोड, होटल सहारा के सामने, पुणे-411016" द्वारा चलाई जा रही "भारतीय जैन संघटन, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार परियोजना (बीजेएस-एडुकिप)" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) दिनांक 12 जनवरी, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 121 (अ) (दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 482 (अ.) द्वारा यथासंशोधित) को निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामत:—

'उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के सामने दिए कॉलम (4) जो धारा क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, "29.77 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्दों के स्थान पर "59.77 करोड़ रुपये" से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

[सं. 43/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1966(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 121(E) dated 12.01.2009 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 35, "Bharatiya Jain Sanghatana, Educational Quality Improvement Project (BJS-EDUQIP)" by "Bharatiya Jain Sanghatana, Senapati Bapat Road, Opposite Hotel Sahara, Pune-411016", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 17.63 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, which was further extended *vide* notification number S.O. 859(E) dated 27.4.2011 for a period of three years ending Financial year 2013-14;

And whereas *vide* notification number S.O. 482(E) dated 16.3.2012, the project cost was enhanced from Rs. 17.63 crore to Rs. 29.77 crore by amending notification number S.O. 121(E) dated 12.01.2009;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the project cost is likely to enhance further from Rs. 29.77 crore to Rs. 59.77 crore;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 29.77 crore to Rs. 59.77 crore.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby (i) notifies the scheme or project "Bharatiya Jain Sanghatana, Educational Quality Improvement Project (BJS-EDUQIP)", which is being carried out by "Bharatiya Jain Sanghatana, Senapati Bapat Road, Opposite Hotel Sahara, Pune 411016", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17 and (ii) amends the said notification number S.O. 121(E) dated 12.01.2009 (as amended vide notification number S.O. 482(E) dated 16.3.2012), to the following effect, namely:—

'In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 29.77 crore", the letters, figures and words "Rs. 59.77 crore", shall be substituted'.

[No. 43/2014/ F. No. V.-27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1967(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 135 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी), तालुक-रहाता, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र 423109" द्वारा "एकीकृत सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनिवार्य सुविधाओं का विकास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1473 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 को अधिसूचना सं. का.आ. 886 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, "श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी), तालुक-रहाता, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र 423109" द्वारा चलाई जा रही "एकीकृत सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनिवार्य सुविधाओं का विकास" की परियोजना अथवा स्कीम को 75 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 44/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1967(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 135(E) dated 03.02.2006 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Development of integrated socio economical health, education & essential facilities" by "Shri Saibaba Sansthan Trust(Shirdi), Taluk-Rahata, District Ahmednagar, Maharashtra 423109", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.75 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide Notification number S.O. 1473(E) dated 17.06.2008 for a further period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide Notification number S.O. 886(E) dated 27.04.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Development of integrated socio economical health, education & essential facilities", which is being carried out by "Shri Saibaba Sansthan Trust(Shirdi), Taluk-Rahata, District Ahmednagar, Maharashtra 423109", without any change in the approved cost of Rs.75 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 44/2014 / F. No. V.-27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1968(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता, हॉस्पिटल, सृष्टि काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र" द्वारा "भक्तिवेदांता हॉस्पाइस" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 483.46 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ङ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता, हॉस्पिटल, सृष्टि काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "भक्तिवेदांता हॉस्पाइस" की परियोजना अथवा स्कीम को 483.46 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 45/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014-एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1968(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9 "Bhaktivedanta Hospice" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 483.46 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Bhaktivedanta Hospice", which is being carried out by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401107 Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs. 483.46 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 45/2014/F. No. V.-27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1969(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''पीपल फॉर एनिमल्स्, 14, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001'' द्वारा "पशुओं के अस्पताल/आश्रय स्थल के अनुरक्षण, दवाईयों, पशुचारे, एम्बुलैंसों की खरीद और पशुओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 4.90 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1599(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 847(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1147(अ.) द्वारा, दिनांक 22.01.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) में संशोधन करते हुए परियोजना लागत को 4.90 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 14.90 करोड़ रूपये कर दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 11 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''पीपल फॉर एनिमल्स्, 14, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001'' द्वारा चलाई जा रही "पशुओं के अस्पताल/आश्रम स्थल के अनुरक्षण, दवाईयों, पशुचारे, एम्बुलैंसों की खरीद और पशुओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन'' की

परियोजना अथवा स्कीम को 14.90 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 46/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1969(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 60(E) dated 22.01.2003 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Maintenance of Animal hospital/shelters, purchase of medicine, feed, ambulances and running of animal awareness programmes" by "People for Animals, 14, Ashoka Road, New Delhi-110001", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 4.90 crore, for a period of three years ending with financial year 2005-06, which was further extended vide Notification number S.O. 1599(E) dated 14.11.2005 for a further period of two years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide Notification number S.O. 1466(E) dated 17.6.2008 for a further period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide Notification number S.O. 847(E) dated 27.4.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas vide notification number S.O. 1147(E) dated 17.5.2010, the project cost was enhanced from Rs. 4.90 crore to Rs.14.90 crore by amending notification number S.O. 60(E) dated 22.01.2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 11 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Maintenance of Animal hospital/shelters, purchase of medicine, feed, ambulances and running of animal awareness programmes", which is being carried out by "People for Animals, 14, Ashoka Road, New Delhi 110001", without any change in the approved cost of Rs.14.90 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 46/2014 / F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1970(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.10.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1084(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दहयालाल शाह सार्वजनिक अस्पताल और प्रसूति गृह ट्रस्ट, गांव डाकघर अंबासन, तालुका और जिला महसाणा-384435, गुजरात" द्वारा "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दहयालाल शाह, सार्वजनिक अस्पताल, अंबासन, जिला महसाणा, गुजरात के संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-06 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 28.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया

था; और जिसे बाद में दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1010 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1472 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 27.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 869 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1147(अ.) द्वारा, दिनांक 11.10.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1084(अ.) में संशोधन करते हुए परियोजना लागत को 28.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 63.75 लाख रूपये से बढ़ाकर 28.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 113.75 लाख रूपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 11 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दहयालाल शाह सार्वजनिक अस्पताल और प्रसूति गृह ट्रस्ट, गांव डाकघर अंबासन, तालुका और जिला महसाणा-384435, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "श्रीमती सविताबेन रमनलाल दहयालाल शाह, सार्वजनिक अस्पताल, अंबासन, जिला महसाणा, गुजरात के संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 28.00 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 113.75 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 47/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1970(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1084(E) dated 11.10.2002 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Running of Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah Sarvajanik Hospital, Ambasan, District Mehsana, Gujarat" by "Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, Sarvajanik Hospital & Prashutigruh Trust, AT & PO Ambasan, Tal. & District Mehsana–384435, Gujarat.", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 63.75 lakhs including a corpus fund of Rs. 28.00 lakhs, for a period of three years ending with financial year 2005-06, which was further extended vide Notification number S.O. No. 1010(E) dated 05.07.2006 for a further period of two years ending with financial year 2007-08, which was further extended *vide* S.O.1472(E) dated 17.06.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide Notification number 869(E) dated 27.4.2011 for a further period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas vide notification number S.O. 1147(E) dated 17.5.2010, the project cost was enhanced from Rs. 63.75 lakh including a corpus fund of Rs. 28.00 lakh to Rs. 113.75 lakh including a corpus fund of Rs. 28 lakh, by amending notification number S.O.1084(E) dated 11.10.2002;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 11 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Running of Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah Sarvajanik Hospital, Ambasan, District Mehsana, Gujarat", which is being carried out by "Smt. Savitaben Ramanlal Dahyalal Shah, Sarvajanik Hospital & Prashutigruh Trust, AT & PO Ambasan, Tal. & District Mehsana–384435, Gujarat", without any change in the approved cost of Rs. 113.75 lakh including a corpus fund of Rs. 28 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 47/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1971(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1586 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''वात्सल्य ट्रस्ट, सी-2/32, श्री विजय कुंज सोसायटी, कंजुर मार्ग (पूर्व), मुम्बई-400042'' द्वारा "(i) अनाथालय, (ii) बालिका आश्रम, (iii) वृद्धाश्रम, (iv) बाल अभिभावक मागदर्शन केंद्र'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली अवधि से तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.92 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2391 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; तथा जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2399 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''वात्सल्य ट्रस्ट, सी-2/32, श्री विजय कुंज सोसायटी कंजुर मार्ग (पूर्व), मुम्बई-400042'' द्वारा चलाई जा रही "(i) अनाथालय, (ii) बालिका आश्रम, (iii) वृद्धाश्रम, (iv) बाल अभिभावक मागदर्शन केंद्र'' की परियोजना अथवा स्कीम को 1.92 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ

होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 48/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1971(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1586(E) dated 11.11.2005 issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, "(i) Orphanage, (ii) Balika Ashrama, (iii) Old age home, (iv) Child parents guidance centers" by "Vatsalya Trust, C-2/32, Shree Vijay Kunj Society, Kanjur Marg (East), Mumbai 400042", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.1.92 crore, for a period of three years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide notification number S.O. 2391(E) dated 3.10.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O. 2399(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 9 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "(i) Orphanage, (ii) Balika Ashrama, (iii) Old age home, (iv) Child parents guidance centers", which is being carried out by "Vatsalya Trust, C-2/32, Shree Vijay Kunj Society, Kanjur Marg (East), Mumbai 400042", without any change in the approved cost of Rs. 1.92 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 48/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1972(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.11.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 4396(अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री राघवेन्द्र सेवाश्रम समिति, दूधाधारी आश्रम, दूधाधारी चौक, भूपतवाला, हरिद्वार" द्वारा "ब्रह्मर्षि दूधाधारी बर्फानी इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली अवधि से तीन वर्ष की अवधि के लिए 49.17 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था;

और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2893(अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "श्री राघवेन्द्र सेवाश्रम समिति, दूधाधारी आश्रम, दूधाधारी चौक, भूपतवाला, हरिद्वार" द्वारा चलाई जा रही "ब्रह्मर्षि दूधाधारी बर्फानी इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर" की परियोजना अथवा स्कीम को 49.17 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 49/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1972(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 4396(E) dated 12.11.2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Brahmrishi Doodhadhari Burfani International Medical and Research Centre" by "Shree Raghvendra Sewashram Samiti, Doodhadhari Ashram, Doodhadhari Chowk, Bhoopatwala, Haridwar", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 49.17 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O. 2893(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Brahmrishi Doodhadhari Burfani International Medical and Research Centre", which is being carried out by "Shree Raghvendra Sewashram Samiti, Doodhadhari Ashram, Doodhadhari Chowk, Bhoopatwala, Haridwar", without any change in the approved cost of Rs. 49.17 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 49/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1973(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2008 की

अधिसूचना सं. का.आ. 2370 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''चारूतर आरोग्य मंडल, पो.बा.सं.7, वल्लभ विद्यानगर गुजरात-388120'' द्वारा "सुविधा से वंचित लोगों की अभिगम्यता तथा उनकी सामर्थ्य वाले अस्पताल की सुविधा के साथ कैंसर तथा कार्डियेक रोगियों के लिए बेहतर उपचार हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन तथा उन्नयन भाग क- एक वृहद् कार्डियेक केयर सेंटर की स्थापना, भाग ख-कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए सहयोग'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 49.66 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 38 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2893 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''चारूतर आरोग्य मंडल, पो.बा.सं.7, वल्लभ विद्यानगर गुजरात-388120'' द्वारा चलाई जा रही "सुविधा से वंचित लोगों की अभिगम्यता तथा उनकी सामर्थ्य वाले अस्पताल की सुविधा के साथ कैंसर तथा कार्डियेक रोगियों के लिए बेहतर उपचार हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन तथा उन्नयन भाग क- एक वृहद् कार्डियेक केयर सेंटर की स्थापना, भाग ख- कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए सहयोग'' की परियोजना अथवा स्कीम को 49.66 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 50/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1973(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370(E) dated 3.10.2008 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 38, "Creating and Upgradation of infrastructure facilities for advanced treatment for Cancer and Cardiac patients with an element of accessibility and affordability of the underprivileged, Part A-Setting up a comprehensive Cardiac Care Center, Part B-Support for Treatment of Cancer Patients" by "Charutar Arogya Mandal, Post Box No.7, Vallabh Vidynagar, Gujarat- 388120", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 49.66 crore, for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O. 2893(E) dated 27.12.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 6 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Creating and Upgradation of infrastructure facilities for advanced treatment for Cancer and Cardiac patients with an element of accessibility and affordability of the underprivileged, Part A-Setting up a comprehensive Cardiac Care Center, Part B-Support for Treatment of Cancer Patients", which is being carried out by "Charutar Arogya Mandal, Post Box No.7, Vallabh Vidynagar, Gujarat- 388120", without any change in the approved cost of Rs. 49.66 crore, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 50/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1974(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ज्ञान मंडल लक्ष्मीपुरा ग्रुप प्रेरित अग्रोग्य मंडल, लक्ष्मीपुरा, तालुक खेदब्रह्मा, जिला साबरकांता, गुजरात-383275" द्वारा "अस्पताल परियोजना " की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 89.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "ज्ञान मंडल लक्ष्मीपुरा ग्रुप प्रेरित अग्रोग्य मंडल, लक्ष्मीपुरा, तालुक खेदब्रह्मा, जिला साबरकांता, गुजरात-383275" द्वारा चलाई जा रही "अस्पताल परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 89.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 51/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1974(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302 (E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Hospital project" by "Gyan Mandal Laxmipura Group Prerit Agrogya Mandal, Laxmipura, Ta Khedbrahma, District Sabarkantha, Gujarat 383275", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 89.00 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Hospital project", which is being carried out by "Gyan Mandal Laxmipura Group Prerit Agrogya Mandal, Laxmipura, Ta Khedbrahma, District Sabarkantha, Gujarat 383275", without any change in the approved cost of Rs. 89.00 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 51/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1975(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 28.10.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1237 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''चूराविला जोसेफ डेवलेपमेंट फाउंडेशन, नं. 54, रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर-560001'' द्वारा "त्रिक्कादवूर में गरीबों तथा उपान्तिक लोगों, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए विद्यालय तथा डिस्पेंसरी इमारतों का निर्माण, फर्नीचर तथा उपस्कर की खरीद तथा उनका एकीकृत विकास'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 3.20 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 605.23 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.11.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1597 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1309 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 28.04.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 849 (अ.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 18.05.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 1261 (अ.) के द्वारा दिनांक 28.10.2003 की अधिसूचना सं0 1237 (अ.) में संशोधन के माध्यम से परियोजना लागत को "320 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 605.23 लाख रूपए" से बढ़ाकर "560 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 1622.76 लाख रूपए" कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''चूराविला जोसेफ डेवलेपमेंट फाउंडेशन, नं. 54, रेस्ट हाउस अपार्टमेंट, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर-560001'' द्वारा चलाई जा रही "त्रिक्कादवूर में गरीबों तथा उपान्तिक लोगों, विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए विद्यालय तथा डिस्पेंसरी इमारतों का निर्माण, फर्नीचर तथा उपस्कर की खरीद तथा उनका एकीकृत विकास'' की परियोजना

अथवा स्कीम को 560 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 1622.76 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 52/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1975(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1237(E) dated 28.10.2003 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, "Construction of school and dispensary buildings, purchase of furniture, equipments and integrated development of the poor and marginalized especially the women and children in Trikkadavoor" by "Chooravilla Joseph Development Foundation, No. 54, Rest House Apartment, Rest House Road, Bangalore-560001", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 605.23 lakh including a corpus fund of Rs. 320 lakh, for a period of three years ending with financial year 2006-07, which was further extended vide notification number 1597(E) dated 14.11.2005 for a period of two years ending with financial year 2007-08, which was further extended vide notification number No. 1309(E) dated 04.06.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11, and which was further extended vide notification number S.O. 849(E) dated 28.4.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas vide notification number S.O. 1261(E) dated 18.05.2009, the project cost was enhanced from "Rs. 605.23 lakh including a corpus fund of Rs. 320 lakh" to "Rs. 1622.76 lakh including a corpus fund of Rs. 560 lakh" by amending notification number S.O. 1237(E) dated 28.10.2003;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 11 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of school and dispensary buildings, purchase of furniture, equipments and integrated development of the poor and marginalized especially the women and children in Trikkadavoor", which is being carried out by "Chooravilla Joseph Development Foundation, No. 54, Rest House Apartment, Rest House Road, Bangalore-560001", without any change in the approved cost of Rs. 1622.76 lakh including a corpus fund of Rs. 560 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 52/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1976(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल सृष्टि काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र" द्वारा "भक्तिवेदांता हॉस्पिटल-कम्यूनिटी स्वास्थ्य सेवाएं" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष

की अवधि के लिए 3865.36 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल सृष्टि काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र" द्वारा चलाई जा रही "भक्तिवेदांता हॉस्पिटल कम्यूनिटी स्वास्थ्य सेवाएं" की परियोजना अथवा स्कीम को 3865.36 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 53/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1976(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, "Bhaktivedanta Hospital-community Health Services" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs. 3865.36 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Bhaktivedanta Hospital-community Health Services", which is being carried out by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs. 3865.36 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 53/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014

का.आ. 1977(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. **का.आ.** 2302 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल सृष्टि

काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र'' द्वारा "बरसाना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 582.17 लाख रूपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट, भक्तिवेदांता हॉस्पिटल सृष्टि काम्पलेक्स, भक्तिवेदांता स्वामी मार्ग, मीरा रोड (पू.) जिला ठाणे-401107, महाराष्ट्र'' द्वारा चलाई जा रही "बरसाना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट'' की परियोजना अथवा स्कीम को 582.17 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 54/2014 /फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2014

S.O. 1977(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2302(E) dated 3.10.2011 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, "Barsana Community Health Centre Project" by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", as an eligible project or scheme, at the estimated cost of Rs.582.17 lakh, for a period of three years ending with financial year 2013-14;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Barsana Community Health Centre Project", which is being carried out by "Sri Chaitanya Seva Trust, Bhativedanta Hospital Srishti Complex, Bhaktivedanta Swami Marg, Mira Road, (E), District Thane – 401 107 Maharashtra", without any change in the approved cost of Rs. 582.17 lakh, for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 54/2014/F. No. V. 27015/1/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.